

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रार्थी
कानाराम पुत्र भगवानाराम जाति
जाट निवासी भांगुओं की ढाणी
सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

विप्राणीगण
1 सरीफखा पुत्र मोहम्मदखा 2 हासमखा पुत्र मोहम्मदखा 3 सागीरखा पुत्र शाकरखा 4 इमरखा पुत्र शाकरखा 5 कमालखा पुत्र शाकरखा 6 हनीफखा पुत्र शाकरखा 7 ऊकाखा पुत्र शाकरखा 8 सजाखान पुत्र चीनूखा 9 रसूलखा पुत्र चीनूखा 10 जूली पत्नी चीनूखा 11 खगसा पुत्र अमलाखा 12 हासूखा पुत्र अमलाखा 13 जमालखा पुत्र अमलाखा 14 चीनूखा पुत्र कासमखा 15 मजीरखा पुत्र कासमखा 16 वसीरखा पुत्र कासमखा 17 रेवतखा पुत्र कासमखा 18 धाई पत्नी कासमखा 19 सफीखान पुत्र आलखा 20 मेहबूबखा पुत्र आलखा 21 मुटी पत्नी आलखा जातियान मुलमान 22 मुणेशाराम पुत्र भगवानाराम 23 खेमाराम पुत्र भगवानाराम 24 अर्जुनराम पुत्र वीरमाराम 25 विशनाराम पुत्र वीरमाराम 26 हनुमानराम पुत्र मेहराराम 27 मूलाराम पुत्र मेहराराम 28 मूलाराम पुत्र जोधाराम 29 विराराम पुत्र जोधाराम 30 गंगाराम पुत्र जोधाराम 31 मानाराम पुत्र जोधाराम 32 केशरीदेवी पत्नी जोधाराम 33 बालाराम पुत्र मुकनाराम 34 तुलसीदेवी पत्नी मुकनाराम 35 हीराराम पुत्र भीखाराम 36 कसुम्बीदेवी पत्नी भीखाराम 37 शंकराराम पुत्र भीखाराम 38 हीराराम पुत्र रामचन्द्रराम जातियान जाट निवासीयान भांगुओं की ढाणी, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् दिनांक-16.02.2022
राजस्व आवेदन संख्या-270/2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भांगुओं की ढाणी पटवार हल्का सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 930/696 रकबा 75:09 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्राणीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फराल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विनाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अदारे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा गौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 16/02/2022

क्रमांक/रीडर/2022/09-12
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करवें।
3. प्रार्थी कानाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भांगुओं की ढाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्राणी 1 सरीफखा पुत्र मोहम्मदखा 2 हासमखा पुत्र मोहम्मदखा 3 सागीरखा पुत्र शाकरखा 4 इमरखा पुत्र शाकरखा 5 कमालखा पुत्र शाकरखा 6 हनीफखा पुत्र शाकरखा 7 ऊकाखा पुत्र शाकरखा 8 सजाखान पुत्र चीनूखा 9 रसूलखा पुत्र चीनूखा 10 जूली पत्नी चीनूखा 11 खगसा पुत्र अमलाखा 12 हासूखा पुत्र अमलाखा 13 जमालखा पुत्र अमलाखा 14 चीनूखा पुत्र कासमखा 15 मजीरखा पुत्र कासमखा 16 वसीरखा पुत्र कासमखा 17 रेवतखा पुत्र कासमखा 18 धाई पत्नी कासमखा 19 सफीखान पुत्र आलखा 20 मेहबूबखा पुत्र आलखा 21 मुटी पत्नी आलखा जातियान मुलमान 22 मुणेशाराम पुत्र भगवानाराम 23 खेमाराम पुत्र भगवानाराम 24 अर्जुनराम पुत्र वीरमाराम 25 विशनाराम पुत्र वीरमाराम 26 हनुमानराम पुत्र मेहराराम 27 मूलाराम पुत्र मेहराराम 28 मूलाराम पुत्र जोधाराम 29 विराराम पुत्र जोधाराम 30 गंगाराम पुत्र जोधाराम 31 मानाराम पुत्र जोधाराम 32 केशरीदेवी पत्नी जोधाराम 33 बालाराम पुत्र मुकनाराम 34 तुलसीदेवी पत्नी मुकनाराम 35 हीराराम पुत्र भीखाराम 36 कसुम्बीदेवी पत्नी भीखाराम 37 शंकराराम पुत्र भीखाराम 38 हीराराम पुत्र रामचन्द्रराम जातियान जाट निवासीयान भांगुओं की ढाणी, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर



R/c
18/2

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर